प्रारुप क्रमांक – 1

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन-पत्र

1. समिति का नाम : मध्यप्रदेश दर्शन-परिषद् /मध्यप्रदेश दार्शनिक महासभा/ मध्य प्रदेश दार्शनिक सङ्गीति होगा।

2. समिति का कार्यालय : 'देवारण्य', 83/B-1, नर्मदा नगर, ग्वारीघाट रोड, तहसील-जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) में स्थित होगा।

3. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

(1) मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अधिवेशन/संगोष्ठी आयोजित करना एवं विचार-विनिमय हेतु दार्शनिकों तथा दर्शनानुरागियों को मंच प्रदान करना।

(2) समाज में नैतिक मूल्यों के उन्नयन एवं नैतिक शिक्षा हेतु वातावरण निर्माण करना।

(3) उच्चतर माध्यमिक (हायर सेकेण्डरी) स्तर पर दर्शनशास्त्र/नीतिशास्त्र/तर्कशास्त्र को वैकल्पिक/अनिवार्य रुप से लागू करने हेतु शासन स्तर पर प्रयास करना।

(4) दर्शन के क्षेत्र में नवीन, शोधपरक एवं अन्तरानुशासनिक अध्ययन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना।

(5) ज्वलंत सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों/विषमताओं के प्रति जनसाधारण में जागरुकता के संचार हेतु प्रयास करना।

(6) आधुनिकता एवं वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति की अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में व्यापक प्रयास करना।

(7) विश्वशांति।

4. समिति के प्रवंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यो। का प्रवंध ''शासक परिषद्, संचालकों, सभा या शासी-निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है :-

क्र. (1)	नाम, पिता/पति का नाम (2)	पद (3)	पूर्ण पता (4)	धन्धा (5)
1.	प्रो. एस.एस. नेगी आत्मज श्री श्यामसिंह नेगी	अध्यक्ष	आचार्य-दर्शन विभाग डॉ. हरिसिंह गौर वि.वि., सागर	अध्यापन
2.	डॉ. शोभा निगम पति डॉ. एल.एस. निगम	उपाध्यक्ष	प्राध्यापक-दर्शन विभाग शा. छत्तीसगढ महा. रायपुर	अध्यापन
3.	डॉ. प्रियव्रत शुक्ल आत्मज-डॉ. उमेश दत्त शुक्ल	उपाध्यक्ष	रीडर-दर्शन विभाग रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर	अध्यापन

उपाध्यक्ष
म.प्र. दर्शन- परिषद्

सचिव
म.प्र. दर्शन- परिषद्

अध्यक्ष
म.प्र. दर्शन- परिषद्

4.	डॉ. शोभा मिश्रा पति डॉ. रविशंकर मिश्र	उपाध्यक्ष	प्राध्यापक-दर्शन विभाग माधव महा. उज्जैन	अध्यापन
5.	ज्योति स्वरुप दुवे आत्मज प्रो. एस.एन. दुवे	सचिव	प्राध्यापक-दर्शन विभाग शा.एम.के.वी.म.महा., जबलपुर	अध्यापन
6.	प्रो. दीपा पाण्डेय आत्मजा स्व. श्रीराम पाण्डेय	सह-सचिव	प्राध्यापक-दर्शन विभाग शा.के.आर.जी. म. महा. ग्वालियर	अध्यापन
7.	डॉ. जे.पी. शाक्य आत्मज स्व. श्री बद्री प्रसाद शाक्य	सह-सचिव	प्राध्यापक-दर्शन विभाग शा. महाराज महा. छतरपुर	अध्यापन
8.	डॉ. एस.पी. पाण्डेय आत्मज स्व. प्रो. एस.एल. पाण्डेय	सह-सचिव	प्राध्यापक-दर्शन विभाग शा. कला एवं वाणिज्य महा. इन्दौर	अध्यापन
9.	डॉ. माला भट्टाचार्य आत्मजा-स्व. श्री ए.के. भट्टाचार्य	कोषाध्यक्ष	प्राचार्य-जानकीरमण महा., जवलपुर	अध्यापन
10.	प्रो. इन्द्रा वर्मा पति श्री जगदीश तिवारी	सदस्य	प्राध्यापक-दर्शन विभाग शा.एम.के.वी. महा., जवलपुर	अध्यापन
11.	डॉ. रत्ना भटनागर पति श्री आर.एन. भटनागर	सदस्य	प्राध्यापक-दर्शन विभाग चंचला बाई महा., जवलपुर	अध्यापन

5. समिति के इस ज्ञापन-पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन-पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्र.	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते पिता/पति का नाम सहित	हस्ताक्षर	क्र.	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते पिता/पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1.	प्रो. एस.एस. नेगी आत्मज श्री श्याम सिंह नेगी डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	[signature]	5.	डॉ. जे.पी. शाक्य आत्मज स्व. श्री बद्रीप्रसाद शाक्य शास. महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर	[signature]
2.	डॉ. प्रियव्रत शुक्ल आत्मज डॉ. उमेश दत्त शुक्ल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	[signature]	6.	डॉ. एस.पी. पाण्डे आत्मज स्व. एस.एल. पाण्डे शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर	[signature]
3.	डॉ. ज्योति स्वरुप दुवे आत्मज प्रो. एस.एन. दुवे एम.के.वी. महाविद्यालय, जबलपुर	[signature]	7.	प्रो. इन्द्रा वर्मा पति श्री जगदीश तिवारी शास. एम.के.वी. कॉलेज, जबलपुर	[signature]
4.	प्रो. दीपा पाण्डे आत्मज स्व. श्री राम पाण्डे शा.के.आर.जी. महाविद्यालय, ग्वालियर	DP			

जो अनावश्यक हो उसे काटिये।

साक्षी

हस्ताक्षर ....[signature]........

नाम : प्रो.(कु) छाया राय

पूर्ण पता १४११, नेपियर टाउन,
डॉ. बराट रोड, जबलपुर (म.प्र.)

[signature] उपाध्यक्ष म.प्र. दर्शन- परिषद्	[signature] सचिव म.प्र. दर्शन- परिषद्	[signature] अध्यक्ष म.प्र. दर्शन- परिषद्

उन्नीस (क)/पंजी. क्र. 56

नियमावली

1. संस्था का नाम : मध्यप्रदेश दर्शन–परिषद् /मध्यप्रदेश दार्शनिक महासभा/ मध्य प्रदेश दार्शनिक सङ्गीति होगा।

2. संस्था का कार्यालय : 'देवारण्य', 83/B-1, नर्मदा नगर, ग्वारीघाट रोड, तहसील–जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) में स्थित होगा।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश होगा

4. संस्था के उद्‌देश्य निम्नलिखित होंगे :–

(1) मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अधिवेशन/संगोष्ठी आयोजित करना एवं विचार–विनिमय हेतु दार्शनिकों एवं दर्शनानुरागियों को मंच प्रदान करना

(2) समाज में नैतिक मूल्यों के उन्नयन एवं नैतिक शिक्षा हेतु वातावरण निर्माण करना।

(3) उच्चतर माध्यमिक (हायर सेकेण्डरी) स्तर पर दर्शनशास्त्र/नीतिशास्त्र/तर्कशास्त्र को वैकल्पिक/अनिवार्य रुप से लागू करने हेतु शासन स्तर पर प्रयास करना।

(4) दर्शन के क्षेत्र में नवीन, शोधपरक एवं अन्तरानुशासनिक अध्ययन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना।

(5) ज्वलंत सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों/विषमताओं के प्रति जनसाधारण में जागरुकता के संचार हेतु प्रयास करना।

(6) आधुनिकता एवं वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति की अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में व्यापक प्रयास करना।

(7) विश्वशांति।

(5) **सदस्यता** :– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :–

(अ) **संरक्षक सदस्य** – संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 5000/-या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) **आजीवन सदस्य** – जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 500/- या अधिक देगा वह आजीवन सदस्य वन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 4500/-या अधिक देकर संरक्षक बन सकता है।

(स) **साधारण सदस्य** – जो व्यक्ति रूपये 50/- प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है। जो साधारण सदस्य विना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

उपाध्यक्ष	सचिव	अध्यक्ष
म.प्र. दर्शन- परिषद्	म.प्र. दर्शन- परिषद्	म.प्र. दर्शन- परिषद्

ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन-पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य वनाया जा सकता है ।

(द) **सम्माननीय सदस्य** – संस्था की प्रवंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझें सम्माननीय सदस्य बना सकती है । ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु उनको मत देने का अधिकार न होगा ।

(6) **सदस्यता की प्राप्ति** – प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा । ऐसा आवेदन-पत्र प्रबंधनकारिणी समिति को प्रस्तुत करना होगा जिसके आवेदन-पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

(7) **सदस्यों की योग्यता** – संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो (2) भारतीय नागरिक हो (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

(8) **सदस्यता की समाप्ति** – संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

(1) मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर (3) संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर (4) त्याग-पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर (5) चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :-

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम,

(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.

(3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो ।

(10) **(अ) साधारण सभा** – साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनाँक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा, यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) **प्रबंधकारिणी सभा** – प्रबन्धकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनाँक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में

उपाध्यक्ष	सचिव	अध्यक्ष
म.प्र. दर्शन- परिषद्	म.प्र. दर्शन- परिषद्	म.प्र. दर्शन- परिषद्

कोरम ½ सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) **विशेष** – यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनाँक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(11) **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :**– (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना (ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों। (च)संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना। (छ) बजट का अनुमोदन करना।

(12) **प्रबंधकारिणी का गठन** – ट्रस्टीज यदि कोई हो, समिति के पदेन सदस्य रहेंगे, नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1)अध्यक्ष (2) 3 उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) 3 संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2

(13) **प्रबंध समिति का कार्यकाल** – प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति को यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक, जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

(14) **प्रबंध कारिणी के अधिकार व कर्तव्य** –

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि को नियुक्ति करना।

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाएँ।

(च) संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

उपाध्यक्ष	सचिव	अध्यक्ष
ग.प्र. दर्शन- परिषद	ग.प्र. दर्शन- परिषद	ग.प्र. दर्शन- परिषद

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

(15) **अध्यक्ष के अधिकार** – अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

(16) **उपाध्यक्ष के अधिकार** – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

(17) **सचिव (मंत्री) के अधिकार** – (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन-पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना। (2) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना। (4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये **5000/-**व्यय करने का अधिकार होगा।

(18) **कोषाध्यक्ष के अधिकार** – समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

(19) **बैंक खाता** – संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 1000/- रहेंगे।

(20) **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** – अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनाँक से 15 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

(21) **संशोधन** – संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

(22) **विघटन** – संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

उपाध्यक्ष	सचिव	अध्यक्ष
ग.प्र. दर्शन- परिषद्	ग.प्र. दर्शन- परिषद्	ग.प्र. दर्शन- परिषद्

(23) **सम्पत्ति** – संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के विना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।

(24) **बैंक खाता** – संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट/ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

(25) **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** – संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

(26) **विवाद** – संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रवंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

उपाध्यक्ष	सचिव	अध्यक्ष
म.प्र. दर्शन- परिषद्	म.प्र. दर्शन- परिषद्	म.प्र. दर्शन- परिषद्